भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2576

11 अगस्त, 2023 को उत्तरार्थ

विषयः कपास की खेती के क्षेत्र में कमी

2576. डा. एल. हनुमंतय्या

श्रीमती जेबी माथेर हीशमः

डा. अमी याज्ञिकः

श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को उन रिपोर्टों की जानकारी है कि खरीफ के मौसम में कपास की खेती का रकबा कम हो गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) किसानों को समर्थन देने और अगले मौसम के लिए कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए;

(ग) कपास पर 11 प्रतिशत शुल्क छूट के साउथ इंडियन मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए) के अनुरोध को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) पिछले पांच वर्षों में विभिन्न प्रकार के कपास के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से कारक इसका निर्धारण करते हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): एक कृषि वर्ष (जुलाई-जून) के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान (प्रमुख खरीफ फसलों को शामिल करते हुए) अक्टूबर माह में जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, खरीफ फसलों की बुआई अभी प्रगति पर है। अत: देश भर में कपास की बुआई सहित विभिन्न खरीफ फसलों के तहत कुल बुआई क्षेत्र को अभी इंगित करना जल्दबाजी होगी।

(ख): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग वर्ष 2014-15 से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से 15 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों अर्थात् असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के अंतर्गत कपास विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति (एसएलएससी) के अनुमोदन से, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के पुनर्रुद्धार के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई-रफ्तार) के तहत राज्य, कपास विकास कार्यक्रम का समर्थन कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार किसानों को कपास की खेती हेतु प्रोत्साहित करने और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कई वर्षों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि कर रही है। वर्ष 2023-24 के दौरान मध्यम रेशा कपास के लिए एमएसपी को 6620 रूपए/क्विंटल तक बढ़ा दिया गया है जो पिछले वर्ष के एमएसपी से 8.9% अधिक है और लंबा रेशा कपास के एमएसपी को 7020 रूपए/क्विंटल तक बढ़ा दिया गया है जो पिछले वर्ष के एमएसपी से 10% अधिक है।

(ग): भारत नेट कपास निर्यातक देश है जहां उत्पादन खपत से अधिक है। अत:, कपास किसानों सहित समूचे कपास मूल्य श्रृंखला के व्यापक हित को देखते हुए और विदेशी मुद्रा के प्रवाह को रोकने के लिए भारत सरकार ने कपास के निर्यात को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत रखा है और भारत में कपास के आयात पर 11% (5% सीमा शुल्क, 5% एआईडीसी और 1% उपकर सहित) आयात शुल्क प्रभारित किया है।

(घ): न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की सिफारिश करते समय, सरकार महत्वपूर्ण कारकों जैसे उत्पादन लागत, समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और वैश्विक कीमतो में रूझान, अंतर-फसल मूल्य समता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें, शेष अर्थ-व्यवस्था पर मूल्य नीति का संभावित प्रभाव, भूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों का युक्तियुक्त उपयोग और भारित औसत उत्पादन लागत (ए2+एफएल) पर मुनाफे के रूप में कम से कम 50 प्रतिशत पर विचार करती है। विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार के कपास के लिए निर्धारित एमएसपी का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रू. प्रति क्विंटल)

जिंस	**किस्म**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
कपास	मध्यम रेशे^	5150	5255	5515	5726	6080
	लंबे रेशे^^	5450	5550	5825	6025	6380

टिप्पणी:

^: 24.5-25.5 रेशा लंबाई (मिमी) और 4.3-5.1 माइक्रोनेयर मूल्य

^^: 29.5-30.5 रेशा लंबाई (मिमी) और 3.5-4.3 माइक्रोनेयर मूल्य

*****